प्रेस नोट

जनपद भदोही

दिनांक: 02.08.2026

थाना ज्ञानपुर पु लस टीम द्वारा हत्या के प्रयास के वांछित अ भयुक्त को कया गया गरफ्तार।

घटना का सं क्षप्त ववरण

दिनांक 01.08.2026 को समय रात्रि लगभग 08:30 बजे वादी मुकदमा मनीष पाण्डेय पुत्र स्व० वद्याधर पाण्डेय निवासी ग्राम- पूरेमु डया (चकहोलमन), थाना ज्ञानपुर, जनपद भदोही अपने मकान के बाउंड्री वाल के गेट पर खड़ा था। तभी उनका पड़ोसी अ भयुक्त देवेन्द्र पाण्डेय वहां आया और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से वादी के पेट और गले पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वादी के दाहिने कंधे पर गंभीर चोट आई। वादी की तहरीर के आधार पर थाना ज्ञानपुर में मु०अ०सं० 203/2026, धारा 109(1)/352/351(3) बी०एन०एस० (BNS) पंजीकृत कर व धक कार्यवाही प्रच लत की गई।

* गरफ्तारी का ववरण:* -

श्री अ भनव त्यागी, पु लस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में वांछित अ भयुक्तों की गरफ्तारी अ भयान के क्रम में *श्री शुभम अग्रवाल* , अपर पु लस अधीक्षक भदोही के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 02.08.2026 को मुखबिर की सटीक सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबं धत वांछित अ भयुक्त को उसके घर के पास से कया गया गरफ्तार। व धक कार्यवाही के उपरांत चालान मा0 न्यायालय कया गया।

* गरफ्तार अ भयुक्त का ववरण:-*

देवेन्द्र पाण्डेय उर्फ टिल्लु पुत्र अनिल कुमार पाण्डेय (उम्र करीब 27 वर्ष), निवासी- चकहोलमन पूरेमु ड़या, थाना ज्ञानपुर, जनपद भदोही।

* गरफ्तार करने वाली पु लस टीम:-*

उ०नि० श्री हरिकेश संह , हे०का० श्री राजेन्द्र यादव, थाना ज्ञानपुर, जनपद भदोही।